

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर  
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:—95/19 (2019/00131) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गणीदेवी पत्नि सोहनलाल बलाई निवासी फतहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—मीठुनाथ पिता अमरनाथ कालबेलिया निवासी फतहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा  
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1.—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार व कब्जे कास्त की आराजी संख्या 918 रकबा 0.09 है0 आराजी संख्या 920 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजियात के उत्तर की और विपक्षी 1 की आराजी संख्या 3136/911 रकबा 0.31 है भूमि स्थित है जिसके मूल नम्बर 911 रकबा 0.57 है0 थे जिसका मौके पर विभाजन होने से बटा नम्बर कायम किये प्रार्थीया अपनी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 3136 की पश्चिमी पाली से होकर करती चली आ रही हैं लेकिन विगत 2 -3 वर्ष से विपक्षी ने उक्त आराजियात पर प्रार्थीया के आवागमन के रास्ते को बन्द कर दिया मौके पर छड़िया डाल कर रास्ता रोक दिया और किसी भी किमत पर रास्ता नही देने की धमकी दी गई प्रार्थीया का एकमात्र रास्ता यही है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और न ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार डीएलसी की राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ग्राम नाहरी में अपनी खातेदारी आराजी संख्या 918, आराजी संख्या 920 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3136/911 मे से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जो पाया कि प्रार्थीया के नाम स्थित खातेदारी भूमि आराजी संख्या 918, आराजी संख्या 920 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 3136/911 के पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे रास्ता दिया जाना हेतु विपक्षी को कोई आपत्ति नही और तहसीलदार रायपुर के द्वारा इसके अलावा ओर कोई

  
24.12.19


वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताते हुए प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया इसी के उक्त विपक्षी की खातेदारी आराजी मे से प्रस्तावित रास्ते की की भूमि मे से 4 मीटर चौड़ाई में 40 मीटर की लम्बाई तक कुल 160 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्र में जाता है जो आराजी नम्बर 918 व 920 तक पहुंचता है। उक्त आराजी की वर्तमान डीएलसी दर 73000/-रूपये प्रति बिघा होने से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 160 वर्गमीटर की राशि 6016/-रूपये का दुगुना करने पर 12032/-रूपये रास्ते की भूमि की किमत बनती है जो प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 918, 920 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 3136/911 रकबा 74.0 है0 मे से रकबा 0.016 है0 भूमि की बाजार दर 73000/-रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 160 वर्गमीटर की राशि 6016/-रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 12032/-रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 3136/911 के पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे पर आम रास्ते से 4 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लम्बा रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



  
24/12/19  
(सुन्दर लाल बम्बोडा)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

